<u>न्यायालय सिविल जज जूनियर डिवीजन, बांसगाँव, गोरखपुर</u>

मूलवाद सं० 309/2016 **JO Code– UP2438**

जगलाल बनाम योगेन्द्र **CNR No– UPGK120022012016**

<u>दिनांक 08–03–2021</u>

पत्रावली पुकार पर पेश। वादी अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली वास्ते निस्तारण प्रार्थना पत्र 7 ग नियत है।

<u>प्रार्थना पत्र 7 ग का निस्तारण</u>

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र कागज सं० 7 ग मय समर्थित शपथ पत्र 8 ग वादी द्वारा न्यायालय से प्रतिवादीगण प्रथम पक्ष के विरुद्ध अन्तरिम निषेधाज्ञा का आदेश प्राप्त किये जाने के आशय से लाया गया है। प्रार्थना पत्र के माध्यम से वादी का यह कहना है कि वादी व प्रतिवादीगण द्वितीय पक्ष विवादित आराजी सं० 184 रकबा 0.012 डि० जिसे वाद पत्र के अन्त में अक्षर ए, बी, सी, डी से प्रदर्शित किया गया है का आबादी होल्डर मालिक व काबिज है। उससे प्रतिवादी प्रथम पक्ष से किसी अंश से कोई वास्ता सरोकार नही है। प्रतिवादीगण प्रथम पक्ष बिला किसी अधिकार के विवादित जमीन में वादी के स्वामित्व व अध्यासन में हस्तक्षेप करने तथा उसमें स्थित असयाय को नष्ट करने तथा दरख्तान को काटने तथा नवनिर्माण करने की धमकी दे रहे है। प्रतिवादीगण प्रथम पक्ष अपने अनाधिकार कार्य में सफल हो जायेगे तो वादी की अपूर्णनीय क्षति होगी। इसप्रकार वादी द्वारा न्यायालय से अन्तरिम निषेधाज्ञा का आदेश पारित किये जाने की याचना की गयी है।

प्रस्तुत दावा दिनांक 31–03–2016 को दाखिल किया गया। न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण के विरुद्ध नोटिस जारी की गयी। पत्रावली पर सामान्य आयुक्त रिपोर्ट कागज सं० 20 ग मय नक्शा नजरी 21 ग व 22 ग संलग्न है। जिसे न्यायालय द्वारा दिनांक 24–11–2020 को प्रतिवादीगण प्रथम पक्ष की अनुपस्थिति में साक्ष्याधीन पुष्ट किया गया है। दिनांक 13–11–2019 को प्रतिवादीगण प्रथम पक्ष की अनुपस्थिति के कारण उन्हे आपत्ति हेतु अंतिम अवसर दिया गया। प्रतिवादीगण अनुपस्थित रहे। अतएवं पत्रावली प्रतिवादीगण प्रथम पक्ष के विरुद्ध एकपक्षीय रुप से अग्रसारित करते हुए दिनांक 17–12–2020 को प्रार्थना पत्र 7 ग सुनवाई/निस्तारण हेतु नियत की गयी।

वादी द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य के रुप में फर्द सबूत 10 ग के माध्यम से खसरा 11 ग व 12 ग तथा फर्द सबूत 23 ग के माध्यम से इन्तखाफ खसरा 24 ग, 25 ग तथा 26 ग दाखिल की गयी।

सुना व पत्रावली का अवलोकन किया।

अवलोकन से दर्शित है कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद वादपत्र के अन्त में दर्शित विवादित संपत्ति ए, बी, सी, डी अन्तर्गत आराजी सं0 184 रकबा 0.012 डि0 के बावत प्रतिवादीगण प्रथम पक्ष के विरुद्ध शाश्वत व्यादेश के अनुतोष हेतु लाया गया है। वादी द्वारा प्रतिवादीगण द्वितीय पक्ष के हक में उक्त अनुतोष की याचना की गयी है। वादपत्र के माध्यम से वादी का यह कहना है कि वादी आराजी सं0 184 रकबा 0.012 डि0 वाद पत्र के अन्त में दर्शित विवादित संपत्ति ए, बी, सी, डी के आबादी होल्डर है। प्रतिवादीगण प्रथम पक्ष का विवादित संपत्ति से कोई वास्ता सरोकार नही है। प्रतिवादीगण प्रथम पक्ष विवादित संपत्ति के बावत पूर्णतया स्ट्रैन्जर है। प्रतिवादीगण प्रथम पक्ष द्वारा विवादित संपत्ति में अनाधिकृत रुप से हस्तक्षेप किया जा रहा है। वादी द्वारा विवादित आराजियात के संदर्भ में नकल इन्तखाफ खतौनी कागज सं0 11 ग व खसरा कागज सं0 12 ग दाखिल किया गया है। जिसमें विवादित आराजी सं0 184 आबादी के रुप में होना दर्शित है। पत्रावली पर कार्यवाही दिनांक 05–02–2020 को एकपक्षीय रुप से चल रही है। मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों में वाद संपत्ति संरक्षण एवं विवाद के विधिपूर्ण निस्तारण हेतु प्रकरण में यथास्थिति कायम रखने का आदेश पारित किये जाने का आधार पर्याप्त है।

<u>आदेश</u>

उभयपक्ष वादपत्र के अन्त में दर्शित विवादित संपत्ति अक्षर ए, बी, सी, डी अन्तर्गत आराजी सं0 184 रकबा 0.012 डि० के बावत अग्रिम आदेश तक यथास्थिति कायम रखें। न्यायालय द्वारा पारित आदेश से ग्राम सभा या राज्य सरकार का कोई हित प्रभावित नही होगा एवं उक्त आदेश पक्षकारों पर ही प्रभावी रहेगा। पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही दिनांक 20–05–2021 को पेश हो।

(आशीष कुमार सिंह)
सिविल जज जू०डि०
बांसगाँव, गोरखपुर।